4

प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा की समझ
एक विश्लेषण

सुधांशु कुमार सिंह*

प्राथमिक शिक्षा एक संदर्भ में भाषा शिक्षण है। बच्चे की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में जुड़ाव विद्यालयी प्राथमिकता होनी चाहिए। बच्चा अपने अनुभवों को भाषा के माध्यम से संजोकर उनको सार्थक बनाता है। यह प्रक्रिया किसी भाषा के द्वारा ही होती है और यह भाषा बच्चे के घर की भाषा/मातृभाषा ही हो सकती है अर्थात सर्जना की पहली कोशिश अपनी भाषा में ही आरंभ होती है, क्योंकि जो भावनात्मक और अंतरंग शब्द होते हैं वे अपनी भाषा से ही उपजते हैं। प्रत्येक बच्चे में भाषा सीखने की असीम क्षमता होती है और वह अपनी भाषा व उसका व्याकरण पूर्णतया आत्मसात करने के पश्चात ही स्कूल आता है। विद्यालय पहुँचने से पूर्व बच्चे भाषा के ज़रिए से ही दुनिया को महसूस कर रहे होते हैं। बच्चे भाषा सीखते नहीं वरन अपने मस्तिष्क में रचते हैं। बच्चे समझ बनाने की क्षमता रखते हैं और स्वयं समझ बनाते भी हैं। पाठ्यचर्या और भाषा जब निजी ज़िंदगी से संयोजित होती है तो वह और समृद्ध होती है। प्रस्तुत शोधपत्र बच्चों की भाषाई समझ बनने के पक्षों को गहरे संदर्भों में उजागर करने व शिक्षकों की भूमिका भाषायी समझ को प्रगाढ़ बनाने में किस तरह से हो सकती है, इन्हीं बातों को उद्घाटित करने एवं बच्चों की भाषायी समझ को और मज़बूती देने की दिशा में कुछ उपायों को सुलझाने का संभावित प्रयास है।

विद्यालयी व्यवस्था द्वारा प्रायः ऐसा मान लिया जाता है कि जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश पाते हैं तो उन्हें विद्यालयी मानक भाषा अंग्रेजी व हिंदी सीखने में अभी बहुत वक्त लगेगा। शिक्षक की भूमिका में हम उन्हें भाषा सिखाने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास के पीछे स्कूल की यह अवधारणा रहती है कि बच्चे मातृभाषा से युक्त होकर विद्यालय में पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें मानक भाषा के लिहाज़ से भाषा को जानने एवं समझने की स्वीकृति नहीं मिल पाती है। जबकि भाषा सीखना एक सहज प्रक्रिया है, बच्चे सांस्कृतिक विरासत में मिली समृद्ध भाषायी अवबोध के साथ विद्यालय में आते हैं। इसलिए बच्चे के घरेलू भाषा और विद्यालयी भाषा में आवाजाही चलती रहनी चाहिए। जिससे बच्चों को घरेलू भाषा से इतर दूसरी मानक भाषा हिंदी व अंग्रेजी को समझने में मज़बूती मिलेगी साथ ही बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझने के क्रम में

*शोधार्थी, शैक्षिक अध्ययनशाला, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) 470 003

बच्चों के मनोभावों को भी सार्थक संदर्भों में जान पाने में सहूलियत होगी।

समझ की बुनियाद के रूप में भाषा

हमें यह मालूम होना चाहिए कि सभी बच्चे तीन साल से पहले ही अपनी भाषा के मूल तथा उपतंत्रों से अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं, जिसमें सामाजिक सह-संबंधों के ज़रूरी हिस्से भी शामिल होते हैं अर्थात (केवल भाषिक ही नहीं, बल्कि संप्रेषण की दक्षता भी ग्रहण कर लेते हैं।) एक तीन साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके संज्ञानात्मक दायरे के अंदर आता हो (भारतीय भाषाओं का शिक्षण, *आधार पत्र*, रा.शै.अ.प्र.प., 2009 पृष्ठ 1)।

बच्चों के साथ की जाने वाली बातचीत को यदि संकलित कर लिया जाए और उसका गहन विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चों में भाषा सीखने की असीम संभावनाएँ होती हैं। वे अपने परिवेश की भाषा को सहज रूप से आत्मसात कर उसका सृजनात्मक प्रयोग करते हैं। बच्चे विद्यालय जाने से पूर्व ही अपनी मातृभाषा में स्वयं की बात को कहने-सुनने की पर्याप्त क्षमता रखते हैं। वे भाषा की अनेक कठिन संरचनाओं पर अपना अधिकार रखते हैं और यह उन्हें कोई बतलाता नहीं है, वरन वे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के ज़रिए भाषा का प्रयोग सीख जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब बच्चे विद्यालय-पूर्व ही भाषा का प्रयोग करना जानते हैं तो विद्यालय में भाषा सिखाने का क्या उद्देश्य हो सकता है?

भाषा सिखाने का उद्देश्य और प्रक्रिया

भाषा सीखने का मकसद बच्चों में वह योग्यता विकसित करना है जिससे वे स्थिति के अनुरूप अपनी बात प्रकट कर सकें और दूसरों की बातों को सुनकर विश्लेषण करते हुए उसकी गहराई को समझ सकें। विभिन्न संदर्भों में अपनी बात को प्रभावी तरीके से कहने के लिए विभिन्न प्रयुक्तियों पर भी अधिकार प्राप्त करना होगा। अतः भाषा की कक्षा में एवं अन्य गतिविधियों के द्वारा बच्चों को उपयुक्त अवसर मुहैया कराए जाएँ, जिससे कि वे भाषा का सार्थक प्रयोग कर सकें। अपनी शैली में या अपने तरीके से किसी बात को कहना, लिखना भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। यह भाषा की सृजनशीलता है और बच्चे तो प्रारंभ से ही भाषा का सृजनशील प्रयोग करते ही हैं, चाहे वह कोई कहानी गढ़ना हो।

भाषा की विभिन्न पाठ्यपुस्तकों में दिए गए अभ्यास विभिन्न भाषा कौशलों का विकास करने के अवसर देते हैं। यह कौशल हैं— बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। बोलना कौशल का अर्थ है विभिन्न संदर्भों में विभिन्न विषयों, मुद्दों पर प्रतिक्रिया देना, अपनी बात को अभिव्यक्त करना। सुनी गई बातों को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना भी बोलना कौशल का एक विशेष पक्ष है। जब हम बोलते हैं तो उसमें अनेक मानसिक संक्रियाएँ शामिल होती हैं, यथा— विचारों की क्रमबद्धता, अवधारणाओं को संजोना, तर्क ढूँढ़ना, शब्दों और वाक्यों का चयन आदि।

शुरुआती कक्षाओं में उच्चारण की शुद्धता से अधिक महत्वपूर्ण है— बोलने या अभिव्यक्त करने का आत्मविश्वास। यदि हम बच्चों को उनके अशुद्ध

उच्चारण के लिए रोकते या टोकते रहेंगे तो वे संभवतः बोलना छोड़ देंगे जिससे चुप्पी की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। सुनने का अर्थ महज़ शब्दों को सुनना नहीं है, वरन सुनी गई बात का विश्लेषण करना और उस पर अपनी सहमति ज़ाहिर करना या प्रतिक्रिया देना है। सुनी गई बातों, कहानियों, कविताओं आदि को अपने निजी जीवन से जोड़ पाना भी आवश्यक है। यह जुड़ाव सुनने के कौशल को मज़बूती देता है। पढ़ने का अर्थ समझने से है लिखी या छपी भाषिक सामग्री को पढ़कर अपने लिए उसका अर्थ सुनिश्चित करना, पढ़ने की अनिवार्य शर्त है। लिखना कौशल के लिए भी अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। शुरुआती कक्षाओं में यदि बच्चों के लेखन में हम वर्तनी संबंधी त्रुटियों की तरफ ही संकेत करते रहे तो संभव है कि बच्चों में लेखन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाए। लिखने और बोलने में एक पक्ष समान है और वह है अभिव्यक्ति। लेकिन बोलने में हम अभिव्यक्ति के लिए भाषिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं और लिखने में उन ध्वनियों के प्रतीक चिह्नों या लिपि का। इस तरह से लेखन में भी वे सभी मानसिक संक्रियाएँ शामिल हैं जो बोलने में शामिल होती हैं। बोलने में हम अनुतान यानी उतार-चढ़ाव, बल, विराम आदि के ज़रिए से कहने को बल देते हैं, वहीं लेखन में यह कार्य विभिन्न विराम चिह्नों के माध्यम से किया जाता है। वर्तनी का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है कि उसकी जगह से उचित अर्थ की संगति न बदल जाए, जैसे— केरल घूमने चलोगे। केरल घूमने चलोगे? इन्हीं बातों के साथ ही एक ज़रूरी बात यह है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से नहीं, बल्कि एक साथ सीखे जाते हैं। जब हम बोलते हैं तो सुनते भी हैं और संवाद की प्रक्रिया में सुनना बोलना साथ-साथ चलता है। इसी प्रकार पढ़ना-लिखना भी साथ-साथ घटित होता है। जब हम लिखते हैं तो उसे पढ़ते भी चलते हैं। चारों कौशल अंत:संबंधित हैं। एक कौशल का विकास दूसरे कौशल को प्रभावित करता है। कक्षा में बच्चों को इस प्रकार के अवसर दिए जाएँ कि वे भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें और अपने आस-पास फैली भाषिक दुनिया को भी समझ सकें (भाषा और शिक्षा, एस.सी.ई.आर.टी., बिहार, पृ.सं. 96–101)।

भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, वरन यह एक परिघटना है जो एक बड़े स्तर पर हमारी सोच, सत्ता और समता के संदर्भ में हमारे सामाजिक संबंधों को निर्मित करती है। जिस रफ़्तार से एक सामान्य शिशु महज़ तीन साल तक की उम्र में ही केवल एक भाषा में ही नहीं, बल्कि एक से अधिक भाषाओं में भाषिक क्षमता हासिल कर लेता है, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि हम संभवतः अपने साथ भाषा-क्षमता लिए जन्म लेते हैं। सभी भाषिक विकास सामाजिक-सांस्कृतिक माध्यम से होता है और इस क्रम में प्रत्येक व्यक्ति बहुविधि 'रजिस्टर' अभिव्यक्तियों के साथ कई तरह की सामाजिक अंतःक्रियाओं के लिए तैयार हो जाता है। यह बड़ा ही चिंतनीय है कि हमारे शिक्षा योजनाकार व भाषा योजनाकार बच्चे में अंतर्निहित इतनी महत्वपूर्ण संभावना को नज़रअंदाज़ करते आए हैं। विशेषकर भारत जैसे देश में जहाँ अधिकांश बच्चे बहुभाषिक संभावना के साथ विद्यालय आते हैं, लेकिन स्कूल आना धीरे-धीरे छोड़ देते हैं। बेशक इसके कई कारण हैं, लेकिन इसमें से एक

कारण है— स्कूल की भाषा, उनके घर एवं पड़ोस की भाषा से खुद को जोड़ नही पाती।

- यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा/मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेज़ी से सीखते हैं और समझ लेते हैं।
- घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है।
- एक भाषा को अच्छी तरह से सिखाने और सीखने के लिए इसे शिक्षा का माध्यम होने की आवश्यकता नहीं है। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)

यह जानकारी कि व्यक्ति में एक जन्मजात भाषिक क्षमता होती है जो शिक्षा शास्त्रीय पहलू सामने रखती है। पर्याप्त अवसर मिले तो बच्चा नई भाषाओं को सहजता से सीखेगा; और शिक्षण का फोकस व्याकरण पर न होकर विषयवस्तु पर होना चाहिए (भारतीय भाषाओं का शिक्षण, *राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र-1*)।

इन बातों की गंभीरता को एक शिक्षक ही समझ सकता है जो बच्चों को बोलने में स्वर के उतार-चढ़ाव, तीव्रता एवं धीमेपन के प्रति सचेत कर सकता है। एकमात्र वही है जो बच्चों को पद्य की लय और गद्य की समझ के प्रति जागरूक कर सकता है। इसलिए उसे इस तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे कि वह स्कूल में प्रवेश कर रहे बच्चे में मौजूद विशाल भाषिक व संज्ञानात्मक क्षमता के प्रति सचेत हो सके। भाषा के विषय में यह सच है कि प्रत्येक बच्चा अपनी भाषा को ठीक तरह से बोल लेता है। एक सचेत शिक्षक को यह ज्ञान होना चाहिए कि कैसे बच्चे की अपनी भाषा व स्कूल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बीच जुड़ाव स्थापित किया जाए। उसे ज्ञात होना चाहिए कि 'मानक' की श्रेणी प्राप्त भाषा शून्य में नहीं जन्मी है, बल्कि वह सामाजिक ताने-बाने से सृजित है। किसी विशेष समय में, खास सामाजिक संरचना में कोई भी भाषा 'मानक भाषा' का दर्जा पाने की क्षमता रखती है। एक प्रशिक्षित शिक्षक ही भाषा सीखने की प्रक्रिया में बच्चे द्वारा की जा रही गलतियों को उसके स्तरानुरूप देख पाने के लायक हो सकेगा (भारतीय भाषाओं का शिक्षण, *राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र,* पृ.सं. 28–29)।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में इस बात को पुरज़ोर तरीके से कहने की ज़रूरत पड़ी कि बच्चों की घर की भाषा स्कूल में भी उनकी समझ का माध्यम बने, ताकि बच्चे रटने की बजाय समझकर पढ़ने की दिशा में आगे बढ़ें। शिक्षा उनके लिए बोझ न बनकर एक आनंददायी अनुभव बने।

भाषा और समझ का गहरा रिश्ता है। भाषा के बिना समझ की परिकल्पना असंभव है। भाषा वर्तमान से अतीत और भविष्य में आवाजाही करने का एकमात्र ज़रूरी मुद्दा है। भाषा के ज़रिए ही हम सार्थक अवधारणाएँ बनाते हैं और ये अवधारणाएँ अपने परिवेश में हीं रची जाती हैं तथा इस रचावट का काम समझ द्वारा संभव है। "जहाँ तक संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक, लेकिन बेहतर यह होगा कि यह कक्षा 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा/मातृभाषा/ स्थानीय भाषा/क्षेत्रिय भाषा होगी। इसके बाद स्थानीय भाषा/मातृभाषा/घर की भाषा को जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा" (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)।

बच्चे की पहचान का सवाल

हम दो ऐसे स्कूलों की परिकल्पना करें जिनकी अपनी-अपनी भाषा नीति है— एक वह स्कूल है जहाँ बच्चा स्कूल में आता है तो उसकी अपनी भाषा जिसे बोलते हुए वह स्कूल पहुँचता है अर्थात उसकी मातृभाषा और उसको पूरी सहजता और सम्मान के साथ कक्षा में स्वीकार किया जाता है। उसकी बोले जाने वाली भाषा के साथ उसे गँवारू कहकर कक्षा में बैठा नहीं दिया जाता है। यह स्कूल इस बच्चे को धीरे-धीरे बृहत्तर दुनिया और ज्ञान से जोड़ने के लिए क्षेत्रीय भाषा की ओर लाने का प्रयास करता है। यह काम उसके आत्मविश्वास को चोट पहुँचाए बिना धीरे-धीरे किया जा रहा है। इस स्कूल में बच्चे के पूर्व अर्जित ज्ञान का स्वागत होता है। यहाँ बच्चा मातृभाषा से प्रांतीय भाषा में सहज तरीके से अग्रसर होता है।

दूसरा वह स्कूल है जहाँ बच्चे के प्रवेश के साथ ही उसकी शिक्षा एक परायी भाषा में शुरू होती है। वहाँ अपनी भाषा मुख से निकलते ही उसे पिछड़ा कहे जाने में देर नही लगती है। यह स्कूल बच्चे की अपनी भाषा को स्वीकार नही करता है। यदि इन दोनों स्कूलों और बच्चों का जायज़ा लेंगे तो ज्ञात होगा कि पहले स्कूल से निकलने वाला बच्चा आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा। अपनी जड़ों से जुड़े हुए इस बच्चे के मन में अपनी भाषा के प्रति कोई दुराव या हीनभावना नहीं होगी। इस बच्चे का प्रांतीय और अंग्रेजी भाषा पर भी पर्याप्त अधिकार होगा, लेकिन दूसरे स्कूल से निकले हुए बच्चे की अपनी भाषा को नकारे जाने के कारण उसके आत्मविश्वास में कमी होगी और दूसरी भाषा के चक्कर में पड़कर उसका ध्यान अभिव्यक्ति के बरअक्स सही उच्चारण और व्याकरण पर संभवतः जाएगा। आगे चलकर वह बच्चा विचार की तारतम्यता के बजाय भाषा दुरुस्त करने में लगा रहेगा (सिंह और कपूर, 2010, पृ.सं. 12–13)।

मातृभाषा में शिक्षण

यूनेस्को के शैक्षणिक आधार पत्र (2003) के अनुसार प्रारंभिक शिक्षण के लिए मातृभाषा अत्यंत आवश्यक है और इसे जहाँ तक संभव हो बरकरार रखा जाना चाहिए। शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन (1949) में सर्वसम्मति से स्वीकारा गया है कि अल्पसंख्यक बोली-भाषा के बच्चों को अपनी बोली-भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है (कोठारी आयोग, भारत सरकार, 1964–1966)। आरंभिक स्तर पर ही 26 प्रतिशत बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और इसकी एक बड़ी वजह है, शिक्षा में अरुचि का होना, जिसके लिए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार हैं— मातृभाषा में अपनी सांस्कृतिक विषयवस्तु का अभाव। कारण वस्तुतः यह है कि भाषा 'संस्कृति' का एक अवयव मात्र नहीं, वरन संस्कृति की संवाहक भी होती है। यदि मातृभाषा में शिक्षण हो तो घर की भाषा से स्कूल की भाषा की ओर बढ़ना ज़्यादा अच्छी तरह से संभव हो सकता है। माध्यम के रूप में मातृभाषा का उपयोग घर में बोली जाने वाली भाषा और विद्यालय में अभिव्यक्त की जाने वाली भाषा के बीच के अंतर की वजह से उत्पन्न भाषिक और सांस्कृतिक अंतर को मिटा सकता है। अर्थात संदर्भ के लिए बिंदु अल्पसंख्यक भाषा या बहुसंख्यक भाषा हो सकती है। लगभग 12 प्रतिशत बच्चे शिक्षा प्राप्त करने से

वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्राप्त नहीं होती (भारद्वाज, 2019, पृष्ठ 16)।

शिक्षक की भूमिका— भाषा का परिप्रेक्ष्य

प्रारंभिक कक्षाओं की शुरुआत में बच्चों में विद्यालय को लेकर भय रहता है। मुख्यतः उन बच्चों को भय रहता है जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अनुभव लिए बिना सीधे कक्षा एक में प्रवेश पाते हैं। ज़्यादातर ऐसे बच्चे शिक्षकों से एवं अन्य बच्चों से झिझकते हैं। पढ़ने-लिखने की प्रक्रिया उनके लिए बिल्कुल नई होती है। भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कौशल सुनना है। यदि हम किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो उसे सुनने एवं बोलने का अवसर मिलने पर हम आसानी से उस भाषा को सीख सकते हैं। इसलिए सुझाव यह है कि स्कूली शिक्षा की शुरुआत सीधे अक्षर ज्ञान से नहीं की जानी चाहिए। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा से परिचित होना आवश्यक होता है और यह कार्य कक्षा में संवाद बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति को मज़बूती देता है, भाषा से परिचित कराता है और सीखे गए ज्ञान को अनुभव से जोड़ने में मदद करता है (यादव, 2018, पृ.सं. 59–60)।

बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति

यह सार्वभौमिक रूप से मालूम है कि बच्चे अपनी घर की भाषा/मातृभाषा में उपयुक्त अवधारणाओं को अधिक बेहतरी के साथ सीखते व समझते हैं। घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हालाँकि, कई बार बहुभाषी परिवारों में, परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली एक घरेलू भाषा हो सकती है, जो कभी-कभी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से भिन्न हो सकती है। जहाँ तक संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक, लेकिन बेहतर यह होगा कि यह कक्षा 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद, घर/स्थानीय भाषा को जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों को घरेलू भाषाओं/मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास शीघ्र किए जाएँगे कि बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण के माध्यम के बीच यदि कोई अंतराल मौजूद हो तो उसे समाप्त किया जा सके। ऐसे मामलों में जहाँ घर की भाषा की पाठ्यसामग्री उपलब्ध नहीं है। शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद की भाषा भी जहाँ संभव हो, वहाँ घर की भाषा बनी रहेगी। शिक्षकों को उन छात्रों के साथ जिनके घर की भाषा/मातृभाषा शिक्षा के माध्यम से भिन्न है, द्विभाषी शिक्षण-अधिगम सामग्री सहित द्विभाषी उपागम का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी भाषाओं को सभी छात्रों की उच्चतर गुणवत्ता के साथ पढ़ाया जाएगा; एक भाषा को अच्छी तरह से सिखाने और सीखने के लिए इसे शिक्षा का माध्यम होने की आवश्यकता नहीं है। अनुसंधान स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बच्चे 2–8 वर्ष की आयु के बीच बहुत जल्दी भाषा सीखते हैं और बहुभाषिकता से इस उम्र के विद्यार्थियों को बहुत अधिक संज्ञानात्मक लाभ होता

है, बुनियादी स्तर की शुरुआत और इसके बाद से ही बच्चों को विभिन्न भाषाओं में (लेकिन मातृभाषा पर विशेष ज़ोर देने के साथ) एक्सपोजर दिए जाएँगे। सभी भाषाओं को एक मनोरंजक और संवादात्मक शैली में पढ़ाया जाएगा, जिसमें बहुत सारी संवादात्मक बातचीत होगी, और शुरुआती वर्षों में पढ़ने और बाद में मातृभाषा में लिखने के साथ कक्षा 3 और आगे की कक्षाओं में अन्य भाषाओं में पढ़ने और लिखने के लिए कौशल विकसित किए जाएँगे। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की ओर से देशभर की सभी क्षेत्रीय भाषाओं, और विशेष रूप से संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओं में बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों में निवेश का एक बड़ा प्रयास होगा।

राज्य विशेष रूप से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के राज्य, अपने-अपने राज्यों में त्रिभाषा फार्मूले को अपनाने के लिए और साथ ही देशभर में भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए आपस में द्विपक्षीय समझौते कर सकते हैं। विभिन्न भाषाओं को सीखने के लिए और भाषा शिक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए तकनीक का बृहद उपयोग किया जाएगा (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ.सं. 19–20)।

मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मकता की वर्तमान में प्रासंगिकता

बुनियादी शिक्षण बच्चे के भावी शिक्षण का आधार स्तंभ है। बोधपरक पठन, लेखन और मूलभूत गणितीय प्रश्नों को सहज तरीके से हल करने के मूलभूत कौशलों को ग्रहण न कर पाने से, बच्चा कक्षा 3 के बाद की पाठ्यचर्या संबंधी जटिलताओं के लिए प्राय: तैयार नहीं हो पाता है। प्रारंभिक स्तर के शिक्षण की उपयोगिता को समझते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि "हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता वर्ष 2025 तक प्राथमिक और उससे आगे सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने की होनी चाहिए। यदि हम प्राथमिक दृष्टि से इस महत्वपूर्ण मूलभूत शिक्षण (अर्थात प्रारंभिक स्तर पर पठन, लेखन और गणितीय कौशल) को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो शेष नीति हमारे छात्रों की एक बड़ी संख्या के लिए प्राथमिकता के तौर पर अप्रासंगिक हो जाएगी।" इस दिशा में, शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन की प्राथमिकता के लिहाज़ से स्थापना की जा रही है। मिशन अधिगम के पाँच क्षेत्रों, जैसे— बच्चों को उनकी स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में पहुँच प्रदान करना और उन्हें स्कूलों में बनाए रखना, शिक्षक क्षमता निर्माण, उच्च गुणवत्ता एवं विविधतापूर्ण शिक्षार्थी और शिक्षण संसाधनों/अधिगम सामग्री का विकास, अधिगम परिणाम उपलब्धि में हरेक विद्यार्थी की प्रगति को ट्रैक करना तथा बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य सहित) पहलुओं के समाधान पर ध्यान आकृष्ट करेगा।

मूलभूत भाषा और साक्षरता आधारित समझ

निपुण भारत मिशन का मकसद एक मज़बूत परिवेश का निर्माण करना है, जिससे कि मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के सार्वभौमिक अर्जन को सुनिश्चित किया जा सके, जिससे प्रत्येक बच्चा

कक्षा 3 के बाद पठन, लेखन और संख्या ज्ञान कौशल की अपेक्षित शिक्षण-क्षमताओं को प्राप्त कर ले। यह मिशन 3–9 वर्ष के आयु के बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं को कवर करेगा। जिसके परिणामस्वरूप, अधिगम-अंतराल और इसके संभावित कारणों की पहचान और स्थानीय परिस्थितियों एवं देश की विविधता को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न कार्यनीतियों के लिए राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्री-स्कूल एवं कक्षा 1 के बीच सशक्त संबंध स्थापित करने और सुचारू कक्षा-अंतरण के उद्देश्य से रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा तैयार किए गए ई.सी.सी.ई. पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क को आँगनबाड़ी और प्री-प्राइमरी स्कूल दोनों द्वारा अपनाया जाएगा। जिससे कि कक्षा 1 में सुचारू कक्षा-अंतरण सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार, अधिगम समग्र, एकीकृत, समावेशी, आनंदपूर्ण और बच्चों को आकर्षित करने वाला होगा। पठन-लेखन और संख्यात्मक आधारभूत गणन कार्यों को करने की क्षमता भावी स्कूली शिक्षा एवं जीवनपर्यंत शिक्षण के लिए अनिवार्य बिंदु और अपरिहार्य पूर्वापेक्षा है। भाषा का पूर्व ज्ञान भाषा में साक्षरता कौशल के निर्माण में मदद करता है। जिन बच्चों की अपनी मातृभाषा में सशक्त पकड़ होती है, वे अंग्रेजी/द्वितीय भाषा को और अधिक सुगमता के साथ सीख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, मूलभूत साक्षरता आधारित कौशलों को विद्यालय में पोषित किया जाता है और ज़्यादातर यह उस भाषा के प्रति शिक्षकों की समझ एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करता है जिस भाषा को बच्चे स्कूल में लेकर आते हैं।

"अनुसंधान स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बच्चे 2–8 वर्ष की आयु के बीच बहुत जल्दी भाषा सीखते हैं और बहुभाषिकता से इस उम्र के विद्यार्थियों को बहुत अधिक संज्ञानात्मक लाभ होता है, बुनियादी स्तर की शुरुआत और इसके बाद से ही बच्चों को विभिन्न भाषाओं में (लेकिन मातृभाषा पर विशेष ज़ोर देने के साथ) एक्सपोजर दिए जाएँगे।" (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)

निष्कर्ष

यह कहा जा सकता है कि बहुभाषिकता हमारी पहचान अथवा अस्मिता की निर्धारक है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से सभी भाषाएँ जिन्हें हम बोली या खिचड़ी भाषाएँ कहते रहे हैं, वे सब समान रूप से वैज्ञानिक होती हैं। भाषाएँ एक-दूसरे के सानिध्य में फलती-फूलती हैं साथ ही अपनी विशेष पहचान भी बनाकर रखती हैं। बहुभाषिक कक्षा में यह बिल्कुल आवश्यक होना चाहिए कि हर बच्चे की भाषा को सम्मान दिया जाए और बच्चों की भाषायी विभिन्नता को शिक्षण विधियों का भाग मानकर भाषा सिखाई जाए। बच्चों के लिए अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण से अपेक्षित परिणाम निकाले जा सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा की पूरी पाठ्यचर्या में भाषा का संदर्भ विशेष महत्व रखता है। विभिन्न अर्थपूर्ण परिप्रेक्ष्य के माध्यम से ही भाषा सबसे अच्छे तरीके से सीखी जा सकती है, इसलिए हर विषय का शिक्षण एक अर्थ में भाषा शिक्षण ही है।

संदर्भ

भारद्वाज, संजीव कुमार. 2019. वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा का अधिकार और सामाजिक-आर्थिक बदलाव की संभावना : एक आलोचनात्मक विमर्श. *प्राथमिक शिक्षक*. वर्ष 43, अंक 1, पृ.सं. 16. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्.

यादव, पद्मा. 2018. पूर्व प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण. *प्राथमिक शिक्षक*. वर्ष 42, अंक 4, पृ.सं. 59–60. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्.

रा.शै.अ.प्र.प. 2009. भारतीय भाषाओं का शिक्षण. *राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र*. पृ.सं. 1. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्. 2016. *भाषा और शिक्षा*. पृ.सं. 96–101. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, एस.सी.ई.आर.टी., बिहार.

शिक्षा मंत्रालय.1966. *कोठारी आयोग रिपोर्ट 1964–66*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

——— 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. पृ.सं. 19–20. भारत सरकार, नई दिल्ली.

——— 2021. राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल— निपुण भारत *राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन*. पृ.सं. 4–6. भारत सरकार, नई दिल्ली.

सिंह, संध्या और कीर्ति कपूर. 2010. *समझ का माध्यम*. पृ.सं. 12–13. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. नई दिल्ली.